बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(भारत सरकार का उद्यम)

www.bankofmaharashtra.in

1/14, प्रशासनिक जोन,
अरेरा हिल्स, भोपाल
फोन : 2551003, 2573623

ई-नीलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन एवं प्रतिभूति-हित-का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत बैंक के कब्जे में रखी गई संपत्ति की ई-नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत बैंक अपने बकाया देय की वसूली हेतु उनके पास बंधक रखी गई /प्रभारित निम्न वर्णित संपत्ति की नीलामी ''जहाँ है जैसा है एवं जो कुछ भी है'' के आधार पर एवं निम्नवर्णित नियम एवं शर्तों पर कर रहा है।

निविदा में भाग लेने हेतु अनुरोध पत्र / केवायसी दस्तावेज / ईएमडी जमा करने की दिनांक 13.01.2017 दोपहर 3 बजे तक
ई-नीलामी की दिनांक 16-01-2017 समय दोपहर 12 से 2 बजे तक 5 मिनिट के असीमित विस्तार पर यदि बिड अंतिम 5 मिनिट में जमा होती है तो...

उधारकर्ता एवं जमानतदार का नाम एवं पता	बकाया राशि जिस हेतु संपत्ति नीलामी की जा रही है	लॉट नं. एवं बंधक संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि बिड बढ़ाने की राशि
शाखा होशंगाबाद फोन : 07574-250121			
ऋणी- मेसर्स राधाकृष्णा वेयरहाउस एण्ड इन्स्फ्रास्ट्रक्चर प्रोपराइटर-श्रीमती आरती गौर पत्नि स्व. श्री महेश प्रसाद गौर निवासी- सोनखेड़ी, तहसील-डोलरिया, जिला-होशंगाबाद (म.प्र.) **जमानतदार- (1) श्रीमती आरती गौर पत्नि स्व. श्री महेश प्रसाद गौर, निवासी-** सोनखेड़ी, तहसील-डोलरिया, जिला- होशंगाबाद (म.प्र.) **(2) श्री मेघदीप गौर पुत्र स्व. श्री महेश चंद्र गौर पता-**सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास, मंगलवारा, जिला-होशंगाबाद (म.प्र.) **(3) श्री राकेश चौरे पुत्र श्री जगदीश प्रसाद चौरे पता-**एस.पी.एम.कालोनी, जिला-होशंगाबाद (म.प्र.) **(4) श्री सुशील कुमार दीवान पता श्री हंस कुमार दीवान पता-**इतवारा मार्केट, होशंगाबाद तहसील एवं जिला-होशंगाबाद (म.प्र.)	दि. **13.04.2015** को **8432312/-** (रुपये चौरासी लाख बत्तीस हजार तीन सौ बारह मात्र) + दिनांक **01.09.2014** से अप्रभारित ब्याज **@ 13.25%** प्रतिवर्ष पेनल ब्याज 2 %, + अन्य खर्च	**लॉट नं. 7: डायवर्टेड खसरा नं. 34 में एक रिहायशी डायवर्टेड प्लाट क्षेत्रफल-3000 वर्गफिट स्थित मौजा बुधवारा, पी.सी. नं. 15, सेटलमेंट नं. 227, तहसील एवं जिला-होशंगाबाद, (म.प्र.) संपत्ति मालिक- श्री राकेश चौरे, चर्तुसीमाएं- उत्तर-रोड, दक्षिण-विक्रेता का शेष क्षेत्रफल, पूर्व-विक्रेता का शेष क्षेत्रफल, पश्चिम-रोड**	**₹ 1680000/-** **₹ 168000/-** **₹ 20,000/-**
		लॉट नं. 8: एक दो मंजिला भवन स्थित नजूल शीट नं. 18, प्लाट नं. 157/1, क्षेत्रफल- 1596.50 वर्गफिट स्थित मौजा नरसिंहगली, म्युनिसिपल वार्ड नं. 1, होशंगाबाद, तहसील एवं जिला- होशंगाबाद (म.प्र.) संपत्ति मालिक- श्री मेघदीप गौर चर्तुसीमाएं- उत्तर-रोड, दक्षिण- श्री विवेक स्वर्णकार का मकान, पूर्व-रोड, पश्चिम-पोहेकर का मकान	**₹ 3476000/-** **₹ 347600/-** **₹ 20,000/-**
		लॉट नं. 9: एक डायवर्टेड प्लाट एवं उस पर निर्मित वेयरहाउस क्षेत्रफल - 82764 वर्गफिट (1.90 एकड़) स्थित खसरा नं. 6, कुल क्षेत्रफल 1.254 हेक्टेयर स्थित मौजा ग्राम-सोनखेड़ी, पी.सी. नं. 41, सेटलमेंट नं. 169, तहसील एवं जिला- होशंगाबाद (म.प्र.) संपत्ति मालिक-श्रीमती आरती गौर चर्तुसीमाएं- उत्तर- मनवाड़ा की मेड़, दक्षिण-श्रीमती आरती गौर की अन्य भूमि, पूर्व-खसरा नं. 6 की शेष अपरावर्तित जमीन, पश्चिम-रोड	**₹ 1,18,92,000/** **₹ 11,89,200/-** **₹ 20,000/-**

नियम एवं शर्तें:

ई-नीलामी ''जहां है जैसा है एवं जो कुछ भी है'' के आधार पर की जायेगी।

(1) नीलामी बैंक द्वारा अधिकृत सेवा प्रदाता मेसर्स सी-1, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वेबपोर्टल (**http://www.bankeauctions.com**) पर संपन्न होगी। ई-नीलामी निविदा प्रपत्र अर्थात ऑन लाईन ई-नीलामी बिड फार्म, घोषणा, नीलामी की सामान्य नियम एवं शर्ते दिनांक **14.12.2016** से वेबसाइट **http://bankofmaharashtra.in/ on http://tenders.gov.in** पर उपलब्ध है एवं इच्छुक निविदाकर्ता संबंधित वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें श्री दानिश खान ई-मेल आई डी **support@bankeauctions.com. mobile no. 9111444797.**

(2) प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं सूचना के अनुसार संपत्ति पर कोई भार नहीं है। इच्छुक निविदाकर्ता अपनी निविदा जमा करने से पूर्व संपत्ति पर भारित ऋण भार, संपत्ति का स्वत्वाधिकार, दावे, देय आदि जो किसी भी प्रकार से संपत्ति को प्रभावित करते हो, के विषय में स्वतंत्र निरीक्षण एवं जानकारी प्राप्त करें । ई-नीलामी प्रकाशन को बैंक की ओर से दी जाने वाली किसी प्रकार की प्रतिबद्धता, प्रतिनिधित्व न समझा जाये। उपरोक्त संपत्ति एवं उन पर सभी प्रकार के वर्तमान एवं भावी प्रभार/ऋण भार/दावे/स्वत्वाधिकार जो कि बैंक की जानकारी में है या नहीं है के सहित विक्रय की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी प्रकार से अन्य पक्षकार के दावे / अधिकार / देयता के प्रति उत्तरदायी नही होगा।

(3) इच्छुक निविदाकर्ता धरोहर राशि आरटीजीएस/एनईएफटी /फण्ड ट्रांसफर के माध्यम से **संपत्ति की खरीद हेतु खाता क्रमांक 60254157319 IFSC MAHB0001469 खाते का नाम लाभार्थी का नाम : बैंक ऑफ महाराष्ट्र होशंगाबाद (1469)** में जमा कर सकते हैं। अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक /अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से, जो ''बैंक ऑफ महाराष्ट्र संपत्ति लाट नं. 7, 8, 9 ऋणी का नाम ....'' के पक्ष में होशंगाबाद पर देय होगा के माध्यम से जमा कर सकते है।

(4) निविदाकर्ता के पास ई-मेल आईडी होना अत्यंत आवश्यक है। (इच्छुक निविदाकर्ता की ई-मेल पर आईडी, पासवर्ड एवं संबंधित जानकारी मेसर्स सी-1 इंडिया प्रा. लि. द्वारा भेजी जावेगी।

(5) इच्छुक निविदाकर्ता को धरोहर राशि जमा करने का प्रमाण पत्र (UTR क्र.) एवं ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अनुरोध पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ जैसे कि (1) आईडी प्रूफ (केवाईसी) जैसे-वोटर आईडी की स्वप्रमाणित प्रति/ड्रायविंग लाइसेंस /पासपोर्ट इत्यादि (2) वर्तमान पते का प्रमाण पत्र (3) निविदाकर्ता की पेनकार्ड की प्रति (4) वैध-ईमेल आई डी (5) सम्पर्क दूरभाष (मोबाइल/लैंडलाईन) प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र भोपाल के पास दिनांक **13.01.2017** दोपहर **3.00** बजे तक जमा करना होगा। इन दस्तावेजों की स्केन कापी उपरोक्त दर्शाए गए ई-मेल आईडी पर अपलोड करनी होगी।

(6) बैंक ऑफ महाराष्ट्र भोपाल द्वारा वेबपोर्टल **http://www.bankeauctions.com** पर होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने वाले योग्य निविदाकर्ताओं का चयन किया जायेगा। योग्य निविदाकर्ता में मेसर्स सी-1, इंडिया प्रा. लि. द्वारा पेनकार्ड की जांच के पश्चात आईडी पासवर्ड प्रदान किया जायेगा।

(7) इच्छुक निविदाकर्ता का दायित्व है कि वह निविदा जमा करने के पूर्व उपरोक्त संपत्तियों एवं उनके विवरण की जांच एवं निरीक्षण कर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद ही निविदा जमा करें।

(8) सफल निविदाकर्ता की धरोहर राशि विक्रय मूल्य में समायोजित की जायेगी एवं असफल निविदाकर्ता की धरोहर राशि लौटा दी जावेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। बिक्री की पुष्टि होने पर सफल खरीददार बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत (जिसमें ईएमडी के लिए पहले भुगतान की गई रकम भी शामिल है) तुरंत जमा करेंगे एवं शेष 75 प्रतिशत राशि 15 दिन अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तय समय सीमा के अंदर भुगतान करेंगे, जिसके न होने पर बैंक खरीददार द्वारा पहले भुगतान / जमा की गई रकम को जब्त कर सकता है। भुगतान में चूक होने पर संपत्ति की पुनः बिक्री की जायेगी और उस पर चूककर्ता खरीददार का किसी भी प्रकार का दावा नहीं रहेगा।

(9) संभावित योग्य निविदाकर्ता ई-नीलामी हेतु प्रशिक्षण मेसर्स सी-1, इंडिया प्रा. लि. से ई-नीलामी दिनांक से पूर्व प्राप्त कर सकता है। प्राधिकृत अधिकारी / बैंक या सी-1 इंडिया लि. किसी भी बंद/त्रुटि (इंटरनेट बंद/लाईट जाने) के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इन स्थितियों से बचने हेतु एवं आपात कालीन परिस्थितियों हेतु निविदाकर्ता से निवेदन है कि वे सभी आवश्यक प्रबंध/विकल्प अपने पास रखें। जिससे वे ई-नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें।

(10) सफल क्रेता को आवश्यक स्टाम्प शुल्क/अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, ट्रांसफर शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस इत्यादि /संपत्ति पर भुगतान की जाने वाली सांविधिक देयताएं एवं अन्य प्रभार यदि कोई हो से संबंधित सभी व्यय का भुगतान करना होगा।

(11) प्राधिकृत अधिकारी अधिकतम निविदा या किसी भी निविदा को स्वीकृत करने हेतु बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताएं सर्वोच्च निविदा या किसी भी निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत /निरस्त / स्थगित करने या संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया से वापस लेने का अधिकार होगा।

(12) विक्रय प्रमाण पत्र सफल निविदाकर्ता के पास जारी किया जावेगा। विक्रय प्रमाणपत्र में किसी अन्य व्यक्ति/संस्था का नाम जोड़ना/हटाना संभव नहीं होगा।

(13) बैंक द्वारा विक्रय की पुष्टि एवं संपूर्ण राशि प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विक्रय प्रमाणपत्र प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत सफल निविदाकर्ता के नाम से जारी किया जावेगा।

सिक्यूरीटाइजेशन एक्ट 2002 के अंतर्गत विक्रय हेतु 30 दिवसीय वैधानिक सूचना

उधारकताओं/जमानतदारों को एतद् द्वारा नीलामी की दिनांक के पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान बैंक को करने हेतु सूचित किया जाता है अन्यथा उपरोक्त वर्णित संपत्ति की ई-नीलामी कर दिया जावेगा तथा शेष राशि ब्याज एवं अन्य खर्चो सहित उनसे वसूल की जावेगी।

दिनांक : 08-12-2016
स्थान : भोपाल

मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

12x32